स्टिंग और मीडिया की स्वतंत्रता

जोगिंदर सिंह

फरवरी, 2014 में एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में मई, 2014 से पहले अपेक्षित लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 11 जनमत सर्वेक्षण एजेंसियों के कदाचारों का पता चला है। 'ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर' नामक इस स्टिंग के अनुसार, इसकी क्लिपिंग दावा करती हैं कि कुछ सर्वेक्षण एजेंसियां आंकड़ों में हेर-फेर और 'भ्रामक परिणाम' उपलब्ध करने को तैयार थीं। यह पिछले एक साल में किसी भी मीडिया कमीशन्ड सर्वेक्षण में जानबूझकर हेर-फेर दिखाने के लिए साक्ष्य प्रकट करने का खुलासा करता है। चैनल के मुताबिक, इसका लक्ष्य 'पूर्वाग्रह और प्रयोजन को उजागर' करना है। टीवी चैनल ने जो खुलासा किया वह सच हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन तथ्य यही है कि हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सच को छापने या बोलने के लिए न तो संविधान और न ही किसी कानून की जरूरत होती है। एक पुरानी कहावत है कि हाथ आए अवसर को गवाना नहीं चाहिए। चुनाव के समय में सभी दल अपना समय और मुख्य शक्ति इस बात को साबित करने में लगा देते हैं कि अन्य दल बदमाशों, झूठों व घोटालेबाजों से पटे हुए हैं और इसलिए शासन करने के लिए अयोग्य हैं। सच यह है कि राजनेता, अपने दल पर विचार किए बिना, शासक बनने के उद्देश्य से जनता के सामने उनके सेवक की मुद्रा में होते हैं।

सरकार द्वारा झूठ बोलने और गलत बात करने में मामूली अंतर है। लोगों की याददाश्त बहुत क्षीण होती है। 2जी घोटाले के तत्कालीन संचार मंत्री राजा ने कहा था कि इस कार्य से सरकार को नुकसान नहीं हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मधु कोड़ा का बदनाम घोटाला, चारा घोटाला जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री को पांच साल की सजा सुनाई गई और आदर्श हाउसिंग घोटाला जैसे कई अन्य घोटाले हुए। अगर किसी को ऐसे घोटाले गिनने हों जिनका सामना हाल ही में देश ने किया तो अग्रलिखित घोटाले तुरंत दिमाग में आते हैं - 2013 हेलिकॉप्टर घोटाला, कोयला ब्लॉक घोटाला, रेलगेट, 2जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज घोटाला, 2008 कैश फॉर वोट घोटाला, उत्तर प्रदेश एनआरएचएम घोटाला, टॉट्रा ट्रक घोटाला, 2013 शारदा समूह चिट फंड घोटाला। एक के बाद

एक छल हमारी राजनीति पर आघात करते रहे हैं। फर्क बस यही है कि पहले वाले बाद वालों के सामने छोटे जान पड़ते हैं। 1996 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री का मामला 2जी घोटाले के सामने क्षमा की तरह दिखता है। इकाई या दहाई अंकों वाला भ्रष्टाचार और हजारों के कदाचार के दिन बीत चुके हैं। अब तो हजारों करोड़ों का युग है।

वैकल्पिक राजनीति में हमने छोटे चोरों को तो फांसी दे दी और बहुत बड़े वालों को बड़े दफ्तरों में नियुक्त कर दिया। भारत की राष्ट्रीय राजधानी में कई टीवी चैनलों ने न केवल राजनेताओं की, बल्कि नौकरशाहों की भी घूसखोरी और चोरी के स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। लेकिन आखिर में कुछ नहीं होता, क्योंकि सरकार सारे कानून पास करती है, जहां यह पीड़ित की तुलना में चोरों और अपराधियों के अधिकारों के प्रति ज्यादा चिंतित रहती है।

शासन में एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है जो गठबंधन धर्म है। मोटे तौर पर, इसका मतलब गठबंधन में शामिल किसी भी मंत्री के खिलाफ निष्क्रियता या जिनके समर्थन से सरकार चल रही है उनके प्रति आंखें मूंदे रहना होता है। अब तक इस दृष्टिकोण का अर्थ यही रहा है कि किसी भी सहभागी को राष्ट्रीय निधि की लूट का लाइसेंस दे दिया जाए, स्पष्टतः अपनी जेब भरने के लिए। एक खोजी वेबसाइट कोबरा पोस्ट द्वारा 'ऑपरेशन फाल्कन क्ला' के कोड नाम से गुप्त ऑपरेशन में कथित तौर पर कांग्रेस, भाजपा, बसपा, जद (यू) और एआईएडीएमके के 11 सांसदों को गुप्त रूप से फिल्माया गया। रिपोर्ट के अनुसार, ये लोग 50,000 रुपए से 50 लाख रुपए तक में कंपनी के लिए लॉबी करने को तैयार हो गए। इन सांसदों में से छह ने तो फीस के साथ पत्र भी लिख दिया। एक सांसद ने यह मांग भी रख दी कि उसकी फीस हवाला ऑपरेटर के जरिए दी जाए। छह सांसदों ने फर्जी मेडिटेरियन ऑयल इंक के पक्ष में सिफारिशी पत्र भी दे दिया था। इनमें से कुछ तो कंपनी के लिए 75 हजार रुपए की निम्न राशि में ही लॉबी के लिए तैयार थे, जबकि दूसरे एक पत्र के लिए पांच लाख रुपए से कम में तैयार नहीं थे। एक मामले में एक सांसद ने तो पत्र के लिए 50 लाख रुपए तक बोल दिए थे। यह दिसंबर, 2005 की लगभग पुनरावृत्ति है जहां कांग्रेस, भाजपा, राजद और बसपा समेत विभिन्न दलों के 11 सांसद प्रश्न पूछने के बदले पैसा लेते हुए कैमरे में पकड़े गए थे। जाहिर है, मकसद जितना संभव हो सके अपना प्रभाव ड ालकर पैसा बनाना था। वर्तमान में यह मामला ठंडे बस्ते में है।

अब एक टीवी चैनल द्वारा करवाए गए स्टिंग ऑपरेशन पर वापस आते हैं। पक्षपातपूर्ण सर्वे तैयार किए जाने पर, यह एक तथ्य है, खैर जो भी हो, सत्तासीन पार्टी को इसके खिलाफ कार्रवाई करना शोभा नहीं देता। जब सांसदों के खिलाफ लॉबिंग के लिए पैसे लेने और सिफारिशी पत्र लिखने का स्टिंग किया गया तो पूरा प्रकरण ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सत्ता में रहने वाला दल हमेशा चयनशील होता है और हमेशा सदाचार के नमूने के रूप में चित्रित किया जाना चाहता है। जमीन पर रहने वाले लोग हकीकत जानते हैं। सरकार के लिए यही बेहतर है कि वह मीडिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे जिसने, चाहे वह प्रिंट हो या टीवी, समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए आश्चर्यजनक काम किया है। कुल-कलंक राजनेता समेत जीवन में हर जगह होते हैं और उनके लिए पूरी मीडिया को क्यों कोसा जाए। वास्तव में मैं कहूंगा कि सरकार को प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध से रोकने के लिए एक अध्यादेश परित करना चाहिए। ■